न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–148/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00265)

01. श्रीमती कलावती देवी धर्मपत्नी सीताराम पुत्री हनुमान सहाय, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बरवाड़ा तहसील चौमू जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

01. कन्हैयालाल,
02. बलदेव,
03. छिगन पुत्रान स्व. हनुमान सहाय,
04. विशाल पुत्र राजेन्द्र,
05. श्रीमती निशा पत्नी राजेन्द्र, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बैनाड़ मय दौलतपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर।
06. श्रीमती रामदुलारी पत्नी स्व. श्री हनुमान सहाय

––रेस्पोडेन्ट

07. सन्तोष देवी पत्नी कैलाश चन्द पुत्री स्व. हनुमान सहाय, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बरवाड़ा तहसील चौंमू जिला जयपुर।
08. श्रीमती मन्जू पत्नी केदारमल पुत्र स्व. हनुमान सहाय, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम बरवाड़ा तहसील चौंमू जिला जयपुर।
09. श्रीमती माया पत्नी सन्तोष पुत्री स्व. हनुमान सहाय, जाति ब्राहाम्ण निवासी मकान नम्बर 608 चीनी की ब्रुज गणगारी बाजार छोटी चौपड़ जयपुर।
10. श्रीमती मीना पत्नी कमलेश पुत्री हनुमान सहाय, जाति ब्राहाम्ण निवासी जयलाल मुंशी का रास्ता पांचवा चौराहा सती माता के मंदिर के पास पुरानी बस्ती जयपुर।
11. राजास्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयुपर।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री लालचन्द जाट, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री संजय शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री मुकेश शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेट संख्या 2, व 7 से 10 की ओर से,
4. श्री सत्यनारायण चौधरी एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 की ओर से,
5. श्री विजय कुमार शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से,
6. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 14.03.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट व अपीलान्ट की अन्य बहिने तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 की ओर से पूर्व में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 18.05.1990 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 31 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार आमेर को रिमाण्ड किया गया तथा उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में तहसीलदार आमेर का यह विधिक दायित्व था कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार मृतक खातेदार के पुत्र–पुत्रियों व विधवा के नाम से समान रूप से नामान्तरकरण तस्दीक करते है लेकिन अधीनस्थ तहसीलदार ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुऐ हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधनों के विपरित पुनः पूर्व में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 18.05.1990 को बहाल कर दिया जो अपीलाधीन निर्णय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रोपट्रीज व रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधनों के विपरित होने के कारण हर सूरज में निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विधिक प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल मात्र अचल सम्पत्ति में अपना हक व हिस्सा रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा ही स्थानान्तररण या ट्रान्सफर हो सकता है तथा यदि किसी व्यक्ति को अपना हक त्याग करना होता है तो वह भी केवल मात्र रजिस्टर्ड त्याग पत्र के द्वारा ही किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष विवादग्रस्त सम्पति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अपीलान्ट व अपीलान्ट की बहनों द्वारा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में त्याग पत्र नही किया गया था तथा न ही तहसीलदार के समक्ष ऐसा कोई रजिसटर्ड त्याग पत्र ही प्रस्तुत हुआ ऐसे में बिना किसी रजिस्टर्ड दस्तोवज के उपरोक्त प्रकार से विधिक प्रावधानों के विपरित किसी भी व्यक्ति को विरासत में प्राप्त विधिक अधिकारों से वंचित नही किया जा सकता। इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय रजिस्ट्रेशन एक्ट व ट्रान्सफर ऑफ प्रोपट्रीज एक्ट के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने दिनांक 21.07.2010 को अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष अपने बयानात में स्पष्ट रूप से निवेदन किया था कि हमने भाई, माताजी व उनके साथ–साथ हम बहनों का भी बराबर का हक व हिस्सा दर्ज किया जावें तथा इसी प्रकार के बयान दिनांक 20.03.2013 को भी अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष अपीलान्ट द्वारा दिये गये थे तथा इसी प्रकार से अपीलान्ट अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष हमेशा से अपने हक व अधिकारों के लिऐ संघर्ष करती आ रही है इसके बाजजूद भी अधीनस्थ तहसीलदार ने रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत करके गलत तथ्य अंकित करते हुये झूँठी सहमति लिखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि अपीलान्ट ने अपनी ओर से अपने हक त्याग की कतई कोई सहमति नही दी है। यदि वास्तव में ही अपीलान्ट अपना हक त्याग करती तो

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अवश्य ही उप पंजीयक के समक्ष रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के द्वारा किया जाता लेकिन वास्तव में अपीलान्ट की ओर से कोई सहमति या अपने हिस्से का त्याग नही किया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्य अंकित करते हुऐ अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट घरेलू अशिक्षित व प्रर्दानशील महिला है जो अकसर बीमार भी रहती है तथा जिसको केवल मात्र हस्ताक्षर करना आता है, अपीलान्ट को तहसीलदार ने यह आश्वासन दे दिया था कि समस्त वारिसान के नाम से नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश पारित होगा इसलिये तहसीलदार के कथनों पर विश्वास करते हुऐ तथा दिनांक 02.07.2015 को खाली आदेशिका पर हस्ताक्षकर करके आ गई तथा अपीलान्ट को यह पूर्ण विश्वास था कि अपीलान्ट के नाम भी नामान्तरकरण तस्दीक होगा इसलिये अपीलान्ट तहसील कार्यालय के बार–बार चक्कर लगाना आवश्यक नही समझा लेकिन दिनांक 25.06.2019 को रेस्पाडेन्ट संख्या 2 बलदेव कुमार ने अपीलान्ट को धमकी देते हुए अवगत कराया कि उक्त भूमि पर तुम्हारा कोई लेना–देना नही है तथा मैने तहसीलदार आमेर से मेरे हक मे आदेश करा लिया है तथा अब मैं उक्त भूमि पर जबरन अवैध कॉलोनी का निमार्ण करके ही रहूगा तथा तुम सब कुछ नही कर पाओंगी, तब रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की उक्त धमकी के पश्चात् दिनांक 28.06.2019 को अपीलान्ट के पति ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके नकल प्राप्त की तथा नकल प्राप्ति के पश्चात् बिना कोई देरी किये न्यायालय श्रीमान् के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है तथा उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता श्री संजय शर्मा ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया है कि अपीलार्थीया साक्षर महिला होना स्वीकार है किन्तु अपीलान्ट शेष समस्त तथ्य कतई असत्य, आधारहीन एवं कपोल कल्पित कहानी मात्र है जिनसे इन्कार है। वास्तविकता यह है कि दिनांक 02.07.2015 को अपीलार्थीया स्वयं अपनी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर के समक्ष राजस्व लोक अदालत अभियान ''न्याय आपके द्वार 2015'' में उपस्थित थी एवं अपीलार्थीया ने अपने आवाक्षचित्र एवं हस्ताक्षरयुक्त लिखित राजीनामा मय शपथ पत्र अन्य पक्षकारों के साथ प्रस्तुत किया था किन्तु बदयितिपूर्वक न्यायालय श्रीमान् की समक्ष प्रस्तुत अपील एवं आवेदन अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में उक्त तथ्य को कोई विवरण अंकित नही किया है और बिना किसी आधार के पीठासीन अधिकारी तत्कालीन तहसीलदार आमेर पर यह आरोप अंकित किया है कि उन्हेने अपीलार्थीया को यह आश्वासन दे दिया था कि वे विवादित भूमि का नामान्तरकरण स्व. श्री हनुमान सहाय के समस्त पुत्र पुत्रियों एवं उनकी विधवा धर्मपत्नी के नाम तस्दीक कर देंगे इसलिये उक्त आदेश दिनांक 02.07.2015 को वह खाली आदेशिका पर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हस्ताक्षर करके आ गई और निरन्तर 3 वर्ष 11 माह और 23 दिन तक इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नही की कि तहसीलदार आमेर ने प्रश्नाधीन नामान्तरकरण संख्या 31 के सम्बन्ध में क्या आदेश पारित किया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलार्थीया द्वारा उक्त दिवस को अन्य बहिनों एवं उत्तरदाता के साथ उपस्थित होकर आवेदन राजीनामा प्रस्तुत किया था। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाथीया के पति के मन में उपजे लालच की वजह से विधि सम्मत आदेश पारित करने के लगभग चार वर्ष पश्चात् बदनियतिपूर्वक असत्य कथन करते हुये यह अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कि गई है जबकि अपीलार्थीया को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 02.07.2015 के आदेश की प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी रही है, परिणामस्वरूप आवेदन अन्तर्गत धारा 5 निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडन्ट सख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय द्वारा न तो सम्पति का हस्तान्तररण हुआ है और ना ही भारतीय पंजीयन अधिनियम या राजस्थान पंजीयन अधिनियम के वर्णित किसी भी प्रावधान का कोई उल्लंघन किया गया है, अपीलाधीन नामान्तरकरण मृत खातेदार की विरासत के सम्बन्ध मे स्वीकृत किया गया एक वैधानिक आदेश है जिसे किसी भी अवस्था में या कानून के प्रकाश मे प्रभाव शून्य अर्थात नल एण्ड वोईड करार नही दिया जा सकता, परिणामस्वरूप न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित उक्त असत्य आधारहीन एव विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त किया जाकर अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद बाहर होने के कारण निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 ने क्रॉस आब्जेक्शन के तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कथन किया है कि तहसीलदार आमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.2015 विधि के स्थापित सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि मूल नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 18.05.1990 को पंचायत द्वारा खोला गया था उस नामान्तरकरण आदेश को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा अपील संख्या 29/2001 उनवानी श्रीमती कलावती देवी व अन्य बनाम कन्हैयालाल व अन्य में निर्णय दिनांक 08.07.2010 के तहत निरस्त कर दिया गया था व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुसार नामान्तरकरण पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था इस प्रकार मूल नामान्तरकरण आदेश दिनांक 18.05.1990 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा निरस्त कर दिये जाने पर अधीनस्थ तहसीलदार आमेर को उसे निरस्त किये गये नामान्तरकरण को पुनः बहाल करने का अधिकार ही नही था ऐसी अवस्था में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिये गये मूल नामान्तरकरण आदेश दिनांक 18.05.1990 को बहाल करने का अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश 02.07.2015 विधि विरूद्ध एवं अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी राजेन्द के मृत होने के तथ्य व राजेन्द्र के एक पुत्र विशाल होने व पुत्री पूनम के होने के तथ्य पत्रावली पर आ चुके थे, सभी अप्रार्थीगण ने अपने बयानों में उक्त कथन अंकित कर दिये थे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को मृतक राजेन्द्र के उक्त पुत्र विशाल व पुत्री को बिना पक्षकार बनाये कोई आदेश पारित नही करना चाहिये था इसके अलावा उक्त दोनों की प्रकरण में राजीनामें से फैसला करने के सम्बन्ध में कोई सहमति नही रही थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण का निर्णय बिना इन्हे पक्षकार बनाये व बिना उनकी सहमति के पारित नही किया जा सकता था उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मृत राजेन्द्र के पुत्र विशाल व पुत्री पूनम को बिना पक्षकार बनाये व बिना उनकी राजीनामें पर सहमति किये विधि विरूद्ध पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रत्यथी निशा शर्मा को बिना पक्षकार बनाये, उसे कोई नोटिस या सूचना जारी नही की है यहॉ तक उस दिन प्रस्तुत राजीनामें में निशा शर्मा के हस्ताक्षर व सहमति नही है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत/कैम्प के नियमों का उल्लंघन कर निशा शर्मा के राजीनामें में हस्ताक्षर व सहमति लिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि पत्रावली में नकल लेने पर प्रत्यर्थीया को ज्ञान हुआ है कि कन्हैयालाल ने प्रत्यर्थीया के खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाकर उस पर शपथ पत्र टाईप करवाकर पेश किया है क्योंकि पहले उक्त प्रकरण में वे ही प्रत्यर्थीया की ओर से देखते थे व प्रत्यर्थीया के हस्ताक्षर मुकदमें में पेश करने का कहकर करवा कर ले जाते रहते थे उन्होने खाली स्टाम्प पर करवाये गये हस्ताक्षरो का दुरूपयोग किया है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के क्रॉस आब्जेक्शन स्वीकार किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण मेरिट पर निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडन्ट संख्या 6 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन का जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि वास्तविकता में विवादित भूमि साबिका खसरा नम्बर 251/3 रकबा 5 बीघा दिनांक 09.06.1973 को स्व. श्री हनुमान सहाय शर्मा पुत्र श्री विजयलाल शर्मा को आवंटित की गई थी और उक्त आवंटन के पश्चात् दिनांक 21.09.1977 को नामान्तरकरण संख्या 184 द्वारा उक्त भूमि को स्व. श्री हनुमान सहाय के नाम खातेदारी मे अंकित किया गया तत्पश्चात् तहसील आमेर में हुए भू प्रबन्धन के दौरान साबिका खसरा नम्बर 251/3 से वर्तमान खसरा नम्बर 572/796 रकबा 0.52 हैक्टयर, खसरा नम्बर 593/797 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 594 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 595 रकबा 0.22 हैक्टयर व खसरा नम्बर 596 रकबा 0.15 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 हैक्टयर कायम किये गये, दिनांक 21.02.1989 को स्व. हनुमान सहाय जो कि अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 के हकपूर्वाधिकारी है ने जरिये विक्रय अनुबंध पत्र सम्पूर्ण भूमि का बेचान दिलीप कुमार शर्मा पुत्र

श्री भागीरथ प्रसाद शर्मा का कर दिया था, उक्त विक्रय अनुबन्ध पत्र में क्रेता दिलीप कुमार शर्मा ने कवल मात्र 25,000/—रूपये ही स्व. श्री हनुमान सहाय को अदा किये थे। उन्होने आगे कथन किया है कि अचानक दिनांक 06.03.1989 को हनुमान सहाय जी का देहान्त हो गया और उनके देहान्त के बाद दिनांक 18.05.1990 को विरासत का नामान्तरकरण संख्या 31 ग्राम पंचायत द्वारा हनुमान सहाय जी के पुत्रों एवं मिन उत्तरदाता के नाम स्वीकृत किया गया इसी दौरान दिलीप कुमार शर्मा से विक्रय प्रतिफल को लेकर विवाद हुआ जिसका निपटारा कर दिनांक 19.03.1993 को नामान्तरकरण संख्या 31 में अंकित उपरोक्त वर्णित समस्त व्यक्तियों ने तथा अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 ने सामूहिक रूप से निर्णय करते हुए सम्पूर्ण भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.03.1993 को द्वारा श्री दिलीप कुमार शर्मा के हित में करवा दिया और प्राप्त प्रतिफल को स्व. श्री हनुमान सहाय जी के सभी उत्तराधिकारियों अर्थात अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 ने बहिस्सा बराबर—बराबर प्राप्त कर लिया फलस्वरूप सम्पूर्ण भूमि विवादग्रस्त से हनुमान सहाय एवं उसके विधिक उत्तराधिकारियों के समस्त हक उत्तराधिकारी अधिकार एवं हित वैधानिक रूप से समाप्त हो गये।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 कथन किया है कि दिनांक 19.03.1993 के पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 03.04.1993 को नामान्तरकरण संख्या 63 के द्वारा सम्पूर्ण भूमि विवादग्रस्त की खातेदारी श्री दिलीप कुमार शर्मा के नाम अंकित कर दी गई और विवादित भूमि पर श्री दिलीप कुमार शर्मा समस्त हक खातेदारी एवं वैधानिक सहित काबिज काश्त हो गये। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट श्रीमती कलावती देवी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 श्रीमती संतोष, श्रीमती मंजू, श्रीमती माया एवं श्रीमती मीना ने आपस में षडयंत्र कर नामान्तरकरण संख्या 31 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष दिनांक 29.10.2007 को प्रस्तुत की जिसमें क्रेता दिलीप कुमार को पक्षकार नही बनाया गया। उक्त अपील दिनांक 08.07.2010 को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 31 को निरस्त कर पत्रावली तहसीलदार आमेर को विरासत का नामान्तरकरण पुनः निर्धारण करने हेतु रिमाण्ड कर दिया गया लेकिन चूँकि स्व. श्री हनुमान सहाय के समस्त पुत्रों एवं बेवा तथा मौजूदा अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व 6 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के पति व पिता स्व. श्री राजेन्द्र ने सम्पूर्ण भूमि का बेचान श्री दिलीप कुमार शर्मा को कर दिया था इसलिये उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2010 के विरूद्ध श्री दिलीप कुमार ने न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की तथा एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता रेस्पोडन्ट संख्या 6 ने कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् के समक्ष दिलीप शर्मा द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन वाद के विचाराधीन के दौरान रेस्पोडेन्ट/उत्तरदाता संख्या

6, अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 व 7 लगायत 10 की सहमति से समस्त विवादों समाप्त करते हुऐ अपने निजी धन से दिलीप कुमार शर्मा को तत्कालीन बाजरू मूल्य अदा कर सम्पूर्ण को दिनांक 05.05.2011 को क्रय कर लिया तथा उक्त क्रय की गई भूमि का नामान्तरकरण संख्या 473 दिनांक 12.11.2014 को उत्तरदाता के नाम स्वीकृत किया गया और वर्तमान में सम्पूर्ण भूमि विवादग्रस्त की खातेदारी उत्तरदाता के नाम अंकित है किन्तु अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 व 7 लगायत 10 अपास में षड़यंत्र कर बिना किसी आधार कारण व बिना विधिक अधिकार के नामान्तरकण संख्या 31 के विरूद्ध अवैधानिक कार्यवाही कर रहे है और उसी क्रम मे जब राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. हनुमान सहाय के रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 का पिता व पति है ने स्वयं विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर दिलीप कुमार शर्मा को जमीन का बेचान कर दिया था उसके उत्तराधिकारियों एवं अपीलार्थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व 7 लगायत 10 को अपने नाम से विवादित भूमि की खातेदारी करवाने या नामान्तरकरण संख्या 31 को निरस्त करवाने का कोई अधिकार शेष नही रहता है परिणामस्वरूप न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत अपील 4 वर्ष 7 दिन अर्थात 1467 दिन पश्चात् प्रस्तुत की गई है जो सरासर मियाद बाहर अपील है तथा नियमानुसार क्रॉस आब्जेक्शन प्रस्तुत करने का अधिकार उस व्यक्ति को होता है जिसके वैधानिक अधिकारों को अनदेखा करते हुए कोई निर्णय उसके हित व अधिकारों के विपरित पारित किया गया हो अन्यथा लाभांवित व्यक्ति को क्रॉस आब्जेक्शन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार विधिनुसार प्राप्त नही है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 5 द्वारा सरासर मियाद बाहर एवं अवैधानिक रूप से विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित प्रस्तुत किय गये क्रॉस आब्जेक्शन तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 8 द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की अपनी सहमति या आपत्ति नही की गई।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 के हकपूर्वाअधिकारी स्व. हनुमान सहाय को आवंटित हुई थी जिसका गैर खातेदारी से खातेदार का नामान्तरकरण संख्या 148 स्व. हनुमान सहाय के नाम दर्ज किया गया है एवं उक्त आराजी के खातेदार स्व. हनुमान सहाय द्वारा दिनांक 20.02.1989 को इकरारनामा दिलीप कुमार शर्मा को किया गया तत्पश्चात् उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम् से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के हक पूर्वाधिकारी राजेन्द्र द्वारा दिलीप कुमार शर्मा को बेचान किया गया है। ऐसी स्थिति में जब रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5

संभागीय आयुक्त
जयपुर

के हक पूर्वाधिकारी द्वारा प्रतिफल प्राप्त कर अपने हिस्से की आराजी का बैचान पूर्व में ही कर दिया गया है तो हस्तगत प्रकरण में उन्हे किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3, 5, व 7 से 10 के साथ साथ अपीलान्ट ने भी स्टाम्प पेपर पर अपनी सहमति दी गई है तो ऐसी स्थिति में जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3, 5, व 7 से 10 के साथ साथ अपीलान्ट को अब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2015 के सम्बन्ध में किसी प्रकार के उज्रात करने के कानूनी अधिकारी प्रदत्त नही है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2015 में किसी प्रकार की कानूनी गलती प्रतीत नही होती है तथा अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2015 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।